<u>समाचार</u>

पौनी–पसारी योजनांतर्गत निर्मित चबूतरों का होगा आबंटन

(विभिन्न परम्परागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन)

कोरबा 22 जुलाई 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पौनी पसारी योजनांतर्गत निगम क्षेत्र के चार स्थानों में निर्मित शेडयुक्त चबूतरों का आबंटन किया जाएगा, विभिन्न परम्परागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति इस हेतु अपने आवेदन निगम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में 27 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।

परम्परागत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को सर्वसुविधायुक्त स्थल उपलब्ध कराने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना पौनी पसारी योजनांतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बुधवारी बाजार, मुड़ापार बाजार, इतवारी बाजार तथा प्रेमनगर चौक दर्री में शेडयुक्त चबूतरों (पसरों) का निर्माण कराया गया है, इन चबूतरों को लोहे से संबंधित कार्यो, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते–चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी–भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कम्बल, मूर्तियां बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केश कर्तन, दोना पत्तल, चटाई तैयार करना तथा आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री इत्यादि परम्परागत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को पसरों का आबंटन किया जाएगा, इन व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति 27 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन भरकर नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य कार्यालय साकेत भवन स्थित संपदा शाखा में जमा करा सकते हैं, प्राप्त आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित पात्रता एवं शर्तो सहित निर्धारित प्रक्रिया में चयन/आबंटन किया जाएगा।